

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा, उ०प्र०।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक),  
उ०प्र०, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 02 दिसम्बर 2019

विषय: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों/अनुचरों के अवकाश प्रक्रिया तथा सेवा पुस्तिका का रख-रखाव ऑनलाइन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 23/ 2017/सी०एम०-13/78-1-2017-111 आई०टी०/ 2017 दिनांक 11-09-2017 के क्रम में एन०आई०सी० द्वारा मानव सम्पदा (ehrms.nic.in) पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल में समस्त सूचना स्वतः अपडेट होती रहेंगी। उक्त के सम्बन्ध में मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध मास्टर डेटा अद्यावधिक एवं प्रमाणित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही डेटा की समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए किसी भी विसंगति का निवारण भी खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से समस्त विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण एन०आई०सी० द्वारा विकसित मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों/अनुचरों के अवकाश आवेदन/स्वीकृति एवं सेवा पुस्तिका के रख-रखाव हेतु एन०आई०सी० द्वारा विकसित "मानव सम्पदा

पोर्टल" के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली दिनांक 04 सितम्बर, 2019 से लागू की जा रही है।

3. उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम चरण में शिक्षकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों/अनुचरों के अवकाश आवेदन/स्वीकृति तथा सेवा पुस्तिका के ऑनलाइन रख-रखाव/अद्यतन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा शिक्षकों का डाटा अद्यावधिक किये जाने एवं प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देशित किया गया है, जिस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व भी निर्धारित किया गया है। अपेक्षानुसार आपके स्तर से वांछित कार्यवाही 01 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण कर ली गयी जायेगी। 'मानव सम्पदा पोर्टल' के प्रयोग के लिए प्रत्येक अध्यापक को एक यूजर आई0डी0 उपलब्ध करायी गयी है। उक्त यूजर आई0डी0 के आधार पर ही खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक शिक्षक का परिचय पत्र (Identity Card) निर्गत किया जायेगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

4. वर्तमान में समस्त प्रकार के अवकाश हेतु प्रभावी शासनादेश/विभागीय आदेश में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप ही, प्रचलित ऑफलाइन प्रक्रिया के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया (मानव सम्पदा पोर्टल) के माध्यम से शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही मानव सम्पदा पोर्टल पर शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन अपडेशन एवं प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जायेगा। सेवा पुस्तिका का ऑनलाइन अपडेशन एवं प्रमाणीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में 31 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

5. शिक्षकों द्वारा अवकाश के आवेदन एवं स्वीकृति हेतु ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन प्रक्रिया भी सुगमता के दृष्टिकोण से 01 अक्टूबर, 2019 तक जारी रहेगी तथा 01 अक्टूबर, 2019 के पश्चात से परम्परागत ऑफलाइन व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाइन व्यवस्था ही पूर्णरूपेण संचालित हो जायेगी। अध्यापकों/कर्मचारियों सेवा पुस्तिकायें पूर्ववत् कार्यालय में सुरक्षित रहेंगी लेकिन 31 दिसम्बर, 2019 तक सेवा-पंजिकायें एन0आई0सी0 के सहयोग से डिजिटलाइज्ड कर दी जायेंगी। अध्यापकों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु एन0आई0सी0 द्वारा विकसित मॉड्यूल 30 नवम्बर, 2019 तक संचालित हो जायेगा। अध्यापकों का वेतन मॉड्यूल 31 दिसम्बर, 2019 तक संचालित हो जायेगा। अध्यापकों/कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 लोन आवेदन भी 31 दिसम्बर, 2019 तक ऑनलाइन प्रणाली से संचालित होने लगेगा। अध्यापकों/कर्मचारियों के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से सम्बन्धित दैनिक, मासिक अथवा वार्षिक कार्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर 31 मार्च, 2020 तक संचालित किये जायेंगे।

6. एन0आई0सी0, उ0प्र0 द्वारा संचालित मानव सम्पदा प्रणाली वेबसाइट आधारित सपोर्ट सिस्टम पर संचालित है। यथाशीघ्र अध्यापकों/कर्मचारियों की सुविधा के लिये ऐप बेस्ड प्रणाली के तहत संचालित की जायेगी, जिसमें एस0एम0एस0 आधारित ऑथेन्टिकेशन प्रणाली अपनायी जायेगी। कालान्तर में बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानव सम्पदा सम्बन्धित सभी आंकड़े व तत्सम्बन्धी कार्य ऑनलाइन प्रणाली से ही व्यवहृत किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:-उक्तवत्।

भवदीया,

( रेंगुका कुमार )

अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

31/01/19

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)  
विशेष सचिव।